



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/ रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-142/2018 धारा-376,506 आईपीसी एवं 6 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त किशन शर्मा पुत्र साधूराम शर्मा नि० नई बस्ती संतकबीरनगर पेट्रोल पम्प के पीछे कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को धारा-376,506 आईपीसी में दोषसिद्ध करते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
उ०नि० अवनेन्द्र
सिंह यादव



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
हे०का० ज्ञानेन्द्र कुमार